

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 3210

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, फरवरी

25

/2020

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली-जेंटा-कोटी-ग्वालखेत-पेखोली मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून का ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 27.08.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र से अपर, प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून ने वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में कुछ कमियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव लौटाया गया, जिसके क्रम में आपके कार्यालय की पत्र सं0 230/1सी0 दिनांक 11.02.2020 से आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संदर्भित पत्र से 07 बिन्दुओं में से 6 बिन्दुओं की सूचना आपके कार्यालय से मांगी गयी। परन्तु आप द्वारा बिन्दु सं0 01 से सम्बन्धित आख्या का उल्लेख पत्र में नहीं किया गया है तथा बिन्दु सं0 7 के सम्बन्ध में दी गयी सूचना स्पष्ट नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपूर्ण एवं अधूरी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित न करे जिससे पत्राचार में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। पूर्ण एवं स्पष्ट आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करे। ताकि उक्त प्रकरण में यथोचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,


(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।